तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सप्लाई विविध प्रकरण सं. 07/2019** **प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम अफजल वगैरा**
21-10-2019	पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण जिला कलक्टर कोर्ट से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 20.08.2019 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में प्रवर्तक निरीक्षक ने अप्रार्थी की दुकान जी0 एन0 ऑटो रिपेयर बालाजी मंदिर के पास, नागौरी गेट, जोधपुर का रूबरू निरीक्षण किया गया तथा मौके पर अफजल एवं शाहिद द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध रूप से मोटर में गैस भरने के लिये किया जा रहा था। अप्रार्थीगण से उक्त गैस सिलेण्डरों बाबत् अनुज्ञा–पत्र मांगे जाने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया। कुल 17 गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें 10 एच0 पी0 सिलेण्डर, 07 इण्डेन सिलेण्डर थे। इसके अलावा दो मुंह वाली गैस भरने की लोकल मोटरे (2), दो बांसुरी एक सिलेण्डर से दूसरे में गैस भरने वाली, एक लोकल रेगुलेटर, वेविंग मशीन (इलेक्ट्रोनिक कांटा) को भी जब्त किया गया। उक्त सिलेण्डरों व अन्य सामान को जब्त किया जाकर सुरताराम पुत्र भोमाराम विश्नोई निवासी लक्ष्मण नगर चाड़ी हाल हॉकर मारवाड़ गैस को मौके पर सुपुर्द किया गया।

क्र. स.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	खाली टंकी का वजन	भरी टंकी का वजन	शुद्ध गैस का वजन
1.	549516	एच0पी0	15.7	32	16.3
2.	097193	एच0पी0	15.7	32.280	16.5
3.	128726	एच0पी0	15.8	32.450	16.6
4.	621966	एच0पी0	15.6	28.50	12.9
5.	140792	एच0पी0	16.2	32.760	16.5
6.	509503	एच0पी0	15.7	32.160	16.5
7.	306948	एच0पी0	15.8	32.300	16.5
8.	344431	एच0पी0	15.6	32.00	16.4
9.	79453	एच0पी0	15.8	32.400	16.6
10.	1895	एच0पी0	15.6	32.200	16.6
11.	32271	इण्डेन	15.8	32.370	16.5
12.	346563	इण्डेन	15.4	31.900	16.5
13.	366206	इण्डेन	15.4	15.4	00
14.	413094	इण्डेन	15.6	15.6	00
15.	988316	इण्डेन	15.2	15.2	00
16.	289731	इण्डेन	15.5	15.5	00
17.	654493	इण्डेन	15.5	17.150	1.6
18.	दो मुंह वाली गैस भरने वाली लोकल मोटरे				
19	दो बांसुरी एक सिलेण्डर से दूसरे में गैस भरने वाली				
20.	एक लोकल रेगुलेटर				
21.	वेविंग मशीन (इलेक्ट्रोनिक कांटा)				

इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का सग्रंह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 7(C) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीण की ओर से अभिभाषक श्री विक्रम बारासा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

उन्होनें अपनी बहस में कथन किया कि जो सिलेण्डर जब्त किये गये वो मेरे मिलने वालों के थे। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से सिलेण्डरों का वाणिज्यक प्रयोग नहीं किया गया।

इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थित यह है कि अप्रार्थी की दुकान जी0 एन0 ऑटो रिपेयर बालाजी मंदिर के पास, नागौरी गेट, जोधपुर का रूबरू निरीक्षण करने पर मौके पर अफजल एवं शाहिद द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अवैध रूप से मोटर में गैस भरने के लिये किया जा रहा था। अप्रार्थीगण से उक्त गैस सिलेण्डरों बाबत् अनुज्ञा–पत्र मांगे जाने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया। कुल 17 गैस सिलेण्डर पाये गये जिसमें 10 एच0 पी0 सिलेण्डर, 07 इण्डेन सिलेण्डर थे। इसके अलावा दो मुंह वाली गैस भरने की लोकल मोटरे (2), दो बांसुरी एक सिलेण्डर से दूसरे में गैस भरने वाली, एक लोकल रेगुलेटर, वेविंग मशीन (इलेक्ट्रोनिक कांटा) को भी जब्त किया गया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 7(C) की स्पष्ट अवहेलना की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 17 गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जमा करायी जाये। दो मुंह वाली गैस भरने की लोकल मोटरे (2), दो बांसुरी एक सिलेण्डर से दूसरे में गैस भरने वाली, एक लोकल रेगुलेटर, वेविंग मशीन (इलेक्ट्रोनिक कांटा) को ऊंची से ऊंची बोली पर निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में जमा करावें। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 17:46:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: